दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.01.2018	पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेस्पों0 जारी हो। टिप्पणी रेस्पों. तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.02.2018 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	पत्रांक 167-68 30-1-2018
12.02.2018	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट् स्वयं उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की टिप्पणी प्राप्त। शामिल मिसल रहे। अपीलान्ट् का कथन हैं कि उसके द्वारा चाही गई सूचना हेतु उसने नियमानुसार आवेदन किया हैं। वांछित शुल्क जरिये पोस्टल ऑर्डर प्रेषित किया हैं। जिसके जवाब में तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह सूचित किये जाने पर कि अपीलान्ट्–प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसील–कोटखावदा से संबधित होने के कारण प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उनको अन्तरण किया गया हैं। अपीलान्ट्–प्रार्थी द्वारा बार–बार अनेकानेक चक्कर लगाये जाने पर भी सूचना नही दी गई हैं। अतः निःशुल्क सूचना दिलाई जावे। हमने अपीलान्ट् के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह जाहिर होता हैं कि अपीलान्ट्–प्रार्थी का सूचना आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी चाकसू को प्राप्त होने पर तहसीलदार, चाकसू को अन्तरण किया गया हैं। तहसीलदार, चाकसू ने प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 6(3) तहसीलदार, कोटखावदा को अन्तरित किया हैं। तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा अपीलान्ट्–प्रार्थी को सूचना दिया जाना पत्रावली से जाहिर नहीं हैं परन्तु इसमें यह भी गौर करने योग्य बिन्दु हैं कि तहसीलदार, कोटखावदा के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी चाकसू हैं। अपीलान्ट् द्वारा संबधित श्रवणाधिकारी को अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया हैं जिससे अपील प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं और अपीलान्ट् को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं तो नियमानुसार उप खण्ड अधिकारी, चाकसू को प्रथम अपील प्रस्तुत करे। निर्णय सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	पत्रांक 361- 19-2